15

विशेषाधिकार का प्रश्न

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें विशेषाधिकार के प्रश्न संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, पूर्व दृष्टांतों और अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये विनिर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है, अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल पुस्तकों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

विशेषाधिकार का प्रश्न

संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ तथा उसका विस्तार

संसदीय भाषा में, ''विशेषाधिकार'' शब्द से अभिप्रेत है ऐसे कतिपय अधिकार तथा उन्मुक्तियां, जो संसद के प्रत्येक सदन तथा उसकी समितियों को सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं और जिनके बिना वे अपने कृत्यों का निर्वहन दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य संसद की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा की रक्षा करना है। ये विशेषाधिकार सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं क्योंकि सभा अपने सदस्यों की सेवाओं के अबाध प्रयोग के बिना अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकती और प्रत्येक सदन को भी अपने सदस्यों के संरक्षण तथा अपने प्राधिकार एवं गरिमा की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से प्राप्त हैं। परन्तु ये सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से केवल उसी सीमा तक उपलब्ध हैं जहां तक कि सदन को किसी अवरोध या बाधा के बिना अपने कृत्यों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन करने के लिए आवश्यक है। वे सदस्यों को समाज के प्रति दायित्वों से, जो अन्य नागरिकों पर लागू होते हैं, मुक्त नहीं करते। संसद के विशेषाधिकार कानूनों के लागू होने के मामले में संसद-सदस्यों को साधारण

1

नागरिकों से किसी भी प्रकार भिन्न स्थिति में नहीं रखते, जब तक कि स्वयं संसद के हित में ऐसा करने के लिए ठोस तथा पर्याप्त कारण न हों।

संसद के मुख्य विशेषाधिकार

2. संसद के प्रत्येक सदन और उसके सदस्यों तथा उसकी समितियों के कुछ अधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार ये हैं कि संसद में सदस्यों को वाक्-स्वातंत्र्य प्राप्त है, संसद में या उसकी किसी समिति में सदस्य द्वारा कही गई किसी बात अथवा दिये गये किसी मत के बारे में किसी संसद सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती, किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती, न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकते और सदस्यों को सभा के सत्र के दौरान और उसके सत्र के प्रारंभ होने से चालीस दिन पहले तथा उसकी समाप्ति के चालीस दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

तथापि, सदस्यों की गिरफ्तारी न किये जाने का विशेषाधिकार कार्यपालक आदेश द्वारा कानूनी प्राधिकार के अधीन निवारक गिरफ्तारी या निरोध पर और आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता। ऐसे मामलों में सदस्य की गिरफ्तारी, बन्दीकरण, कारावास

और रिहाई आदि की सूचना संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अध्यक्ष, लोक सभा को तत्काल दी जानी चाहिए।

विशेषाधिकार का भंग

3. जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के या सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार, अधिकार तथा उन्मुक्ति की अवहेलना करता है या उनका अतिक्रमण करता है, तो इस अपराध को विशेषाधिकार-भंग कहा जाता है जिसके लिए सभा द्वारा दंड दिया जा सकता है। विशिष्ट विशेषाधिकारों के भंग किये जाने के मामलों के अतिरिक्त, सभा के प्राधिकार या गरिमा के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां, यथा, उसके विधि सम्मत आदेशों की अवज्ञा या उसके सदस्यों अथवा अधिकारियों के बारे में अपमानजनक लेख आदि का प्रकाशन करना भी सभा की अवमानना के रूप में दंडनीय है।

संसद की अवमानना

4. सभा के अवमान की सामान्यत: इस प्रकार परिभाषा दी जा सकती है कि ''ऐसा कोई कार्य या भूल-चूक, जो संसद के किसी सदन के काम में उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा या अड़चन डालती है अथवा सदन के किसी सदस्य या अधिकारी के मार्ग में उसके कर्तव्य के पालन में बाधा या अड़चन डालती है अथवा जिससे प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: ऐसे परिणाम उत्पन्न हो

सकते हैं'', संसद का अवमान माना जाता है। संसद के कुछ महत्वपूर्ण अवमानों के उदाहरण इस प्रकार हैं:— सभा, उसकी समितियों अथवा सदस्यों पर आक्षेप करने वाले भाषण या लेख; अध्यक्ष के कर्तव्य पालन के संबंध में उसके चरित्र या निष्पक्षता पर आक्षेप; सभा की कार्यवाही के झूठे तथा विकृत वृत्तान्त का प्रकाशन; सभा की कार्यवाही में से निकाले गये अंशों का प्रकाशन; सभा में सदस्यों के आचरण को लेकर उनकी निन्दा या सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय या सभा में अथवा किसी समिति में उपस्थित होने के लिए जाते हुए या वहां से आते हुए सदस्यों के मार्ग में बाधा पहुंचाना; सदस्यों के संसदीय कार्य पर असर डालने के लिए उनको घूस देने की पेशकश करना; और सदस्यों के संसदीय आचरण के संबंध में उनको त्रास पहुंचाना।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता

5. कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से, किसी सदस्य के या सभा के या इसकी समिति के विशेषाधिकार के हनन से संबंधित कोई प्रश्न उठा सकता है।

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

6. जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता है उसे उसकी लिखित सूचना 10.00 बजे तक उस दिन की बैठक प्रारंभ

होने से पूर्व जिस दिन कि उस प्रश्न को उठाने का उसका विचार हो, महासचिव को देनी होती है। 10.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाली सूचनाओं को अगले दिन के 10.00 बजे, जिस दिन बैठक होनी है, प्राप्त हुआ माना जायेगा। यदि उठाया जाने वाला प्रश्न उसी दस्तावेज पर आधारित हो, तो सूचना के साथ यह दस्तावेज भी संलग्न किया जाना चाहिये।

ग्राह्यता की शर्तें

7. विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों से विनियमित होता है, अर्थात्:—

(एक) एक से अधिक प्रश्न एक ही बैठक में नहीं उठाये जाने चाहिएं;

(दो) प्रश्न को हाल ही में हुए किसी विशिष्ट मामले तक सीमित रखना चाहिए; और

(तीन) मामला ऐसा होना चाहिए जिस पर सभा में विचार किये जाने की आवश्यकता हो।

अध्यक्ष विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की उक्त शर्तों तथा मामले से संगत पूर्वोदाहरणों को ध्यान में रखकर अपनी सम्मति देता है।

8. सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा मामले पर विचार किया जाता है। अध्यक्ष विशेषाधिकार का प्रश्न सभा में उठाये जाने के

लिए अपनी सम्मति दे सकता है या इनकार कर सकता है। तथापि, यह निर्णय करने से पूर्व, कि क्या विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाये जाने वाले प्रस्तावित मामले पर सभा में विचार किये जाने की आवश्यकता है और क्या उस मामले को सभा में उठाये जाने की सम्मति दी जानी चाहिये, अध्यक्ष उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अभियोग लगाया गया है, अपना स्पष्टीकरण अध्यक्ष के समक्ष देने का अवसर प्रदान कर सकता/सकती है। तत्पश्चात् संबंधित सदस्य को अध्यक्ष के निर्णय की सूचना दी जाती है। अध्यक्ष के अपनी स्वीकृति देने के निर्णय से इनकार, कि उसने मामले को सभा में उठाये जाने की सम्मति नहीं दी है, की सूचना सदस्य को दिये जाने के पश्चात्, उस सदस्य को सभा में वह मामला उठाने की अनुमति नहीं होती। तथापि, यदि सदस्य संतुष्ट न हो, तो वह अपना मामला स्पष्ट करने के लिए अध्यक्ष से उनके कक्ष में जाकर मिल सकता/सकती है।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का तरीका

9. यदि अध्यक्ष ने सभा में विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में कोई मामला उठाये जाने के लिए अपनी अनुमति दी है, तो जिस सदस्य ने सूचना दी है, वह अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने पर, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए सभा की अनुमति मांगेगा। ऐसी अनुमति मांगते समय संबंधित सदस्य को विशेषाधिकार के प्रश्न से संगत केवल एक संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति दी

जाती है। यदि अनुमति देने के संबंध में आपत्ति की जाती है तो अध्यक्ष उन सदस्यों से अनुरोध करता है जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में होते हैं, कि वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें। यदि तदनुसार पच्चीस या अधिक सदस्य खड़े हो जाते हैं, तो यह माना जाता है कि सभा ने मामले को उठाये जाने की अनुमति दे दी है और अध्यक्ष घोषणा करता है कि अनुमति दी जाती है; अन्यथा अध्यक्ष सदस्य को सूचित करता है कि सभा ने उसे मामला उठाने की अनुमति नहीं दी है।

सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति केवल उसी सदस्य द्वारा मांगी जा सकती है, जिसने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। इस संबंध में उक्त सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत नहीं किया जा सकता।

10. विशेषाधिकार के प्रश्न को कार्य-सूची की अन्य मदों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। तदनुसार विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति प्रश्नों के पश्चात् और कार्य-सूची की अन्य मदों को लिये जाने से पूर्व मांगी जाती है।

तथापि, अध्यक्ष ऐसे अविलम्बनीय मामलों को, जिन पर सभा द्वारा तुरन्त विचार किये जाने की आवश्यकता हो, किसी बैठक के दौरान प्रश्नों के निपटाये जाने के पश्चात्, किसी भी समय उठाने की अनुमति दे सकता है, किन्तु ऐसे अवसर बहुत ही कम होते हैं।

7

विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार

11. विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये जाने के लिए सभा द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात्, उस मामले पर सभा द्वारा स्वयं विचार और विनिश्चय किया जा सकता है या उसे सभा द्वारा, किसी सदस्य के प्रस्ताव पर, परीक्षण, अन्वेषण और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। तथापि सामान्य प्रथा यह है कि शिकायत वाला मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है और सभा अपना निर्णय समिति का प्रतिवेदन सभा में पेश किये जाने तक स्थगित रखती है। तथापि, जहां सभा देखती है कि मामला बहुत ही मामूली है या अपराधी ने पर्याप्त क्षमा याचना कर ली है, उस मामले में आगे कोई कार्यवाही न करने का निर्णय करके सभा स्वयं उस मामले को निपटा देती है।

अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपा जाना

12. अध्यक्ष विशेषाधिकार या अवमानना का कोई मामला स्वयंमेव विशेषाधिकार समिति को परीक्षण, अन्वेषण और प्रतिवेदन के लिए सौंप सकता है। ऐसा करते हुए अध्यक्ष को यह विचार और निर्णय करने के लिए कि क्या वह मामला समिति को इस प्रकार सौंपा जाये, उस मामले को सभा में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे उल्लिखित मामलों पर समिति के प्रतिवेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाते हैं जो प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के लिए निदेश दे सकता है।

अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति

13. अध्यक्ष विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति में या सभा में विचार किये जाने से संबंधित सभी मामलों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिए ऐसे निदेश दे सकता है, जो आवश्यक हों।

[विशेषाधिकार के प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 105 और लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 222-228 तथा 229-231 द्वारा विनियमित होते हैं।]

9